षष्ठम माला, खंड 2, अंक 7, शनिवार, 18 जून, 1977/28 ज्येष्ठ, 1899 (शक)
Sixth Series, Vol. II, No. 7, Saturday, June 18, 1977/Jyaistha 28, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

PARLIAMENT LIBRA
Acc. No. 105(4)
Date 15-12-77

सत्यमेव जयते

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1 4751 SS/77

विषय-सूची

CONTENTS

अंक 7, शनिवार, 18 जून, 1977/28 ज्येष्ठ, 1899 (शक)

No. 7, Saturday, June 18, 1977/Jyaistha 28, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	1
सदस्य द्वारा त्यागपत्र—	Resignation of Members—	1
(श्री प्रकाश सिंह बादल)	(SHRI PRAKASH SINGH BADAL)	
सभा का कार्य	Business of the House	2
राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक— पुरःस्थापित	National Highways (Amendment) Bill— Introduced	2
केन्दीय सड़क निधि के बारे में सकल्प— स्वीकृत हुआ ।	Resolution *re* Central Road Fund— Adopted	2-3
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	2-3
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	3
चाय, काफी तथा क्रोमाइट अयस्क की कतिपय श्रेणियों पर निर्यात शुल्क में वृधि किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत	Statutory Resolution *re.* increase in rates of export duty on tea, Coffee and certain categories of Chromite ore—adopted	4-6
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	4-5
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	5
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	5
अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन विधेयक—	Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Amendment Bill	6-15
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	6-7
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	7-8
श्री जी० एम० बनतवाला	Shri G. M. Banatwala	8
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	8-9
श्री के० ए० राजन	Shri K. A. Rajan	9
श्री सोनू सिंह पाटिल	Shri Sonu Singh Patil	9-10
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	10
श्री शंभू नाथ चतुर्वेदी	Shri Shambhu Nath Chaturvedi	10-11
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	11

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री विजय कुमार मलहोत्रा	Shri Vijay Kumar Malhotra	11
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	11-12
श्री वाई० पी० शास्त्री	Shri Y. P. Shastri	12
श्री बी० के० नायर	Shri B. K. Nair	12
श्री त्रिदिव चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri	12
खंड 3, 4 और 1	Clauses 3, 4 and 1	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	12
राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक—	Presidential and Vice Presidential Elections (Amendment) Bill—	15-18
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider	
श्री शांति भूषण	Shri Shanti Bhushan	15
डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammed	16
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	16
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री शांति भूषण	Shri Shanti Bhushan	17-18

लोक सभा

LOK SABHA

शनिवार, 18 जून, 1977/28 ज्येष्ठ, 1899 (शक)

Saturday, June 18, 1977/Jyaistha 28, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय : पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाएं

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सा० सां० नि० 475 और 476 जो दिनांक 2 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(2) सा० सां० नि० 251 (ङ) और 252 (ङ) जो दिनांक 25 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(3) सा० सां० नि० 265 (ङ) जो दिनांक 3 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । (देखिए एल० टी० 389/77]

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

RESIGNATION OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि पंजाब के फरीदकोट निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री प्रकाश सिंह बादल ने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया और मैंने उनका त्यागपत्र आज अर्थात् 18 जून, 1977 से स्वीकार कर लिया है ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : श्रीमन्, 20 जून, 1977 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) वर्ष 1977-78 के लिए सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा ।

(2) मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक 1977

(विचार तथा पास करना)

(3) योग उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1977

(विचार तथा पास करना)

उपर्युक्त मदों की समाप्ति के बाद सभा प्रत्येक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान आरम्भ करेगी । आशा है कि इन मांगों के क्रम की घोषणा मैं मंगलवार, 21 जून, 1977 से कर दूंगा ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : केरल राज्य के एफ० सी० आई० के ठेका मजदूर हड़ताल करने जा रहे हैं । इसे अगले सप्ताह की कार्य सूची में चर्चा के लिए रखा जाए ।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक फिर सोमवार को होगी । मैं नहीं जानता कि इसे स्वीकार किया जाएगा अथवा नहीं ।

राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक
NATIONAL HIGHWAYS (AMENDMENT) BILL

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

The motion was adopted.

श्री मोरारजी देसाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

केन्द्रीय सड़क निधि के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE. CENTRAL ROAD FUND

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"यह सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि केन्द्रीय सड़क निधि जारी रखने सम्बन्धी सड़क विकास संकल्प में, 30 मार्च, 1976 को लोक सभा द्वारा स्वीकृत रूप में, निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :—

संकल्प के पैरा 6 (घ) में :—

(क) पंक्ति 4 में, 'समाज-विरोधी' और 'तत्वों' शब्दों के बीच 'आपराधिक' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) पंक्ति 3 और 4 में, 'डाकुओं, नक्सलवादियों आदि जैसे' शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) पंक्ति 5 में 'पर्यटन' और 'आदि' शब्दों के बीच 'कृषि विपणन क्षेत्र सम्पर्क' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) पंक्ति 5 में, 'परमाणु' शब्द से पहले 'राज मार्गों आदि पर चालकों, संवाहकों और क्लीनरों के लिए सड़क से लगते विश्राम स्थल और यात्रियों के लिए सड़क के किनारे सुविधाओं की व्यवस्था करने सम्बन्धी कार्यक्रम में आंशिक योगदान' शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे ।"

यह संकल्प मार्च 1976 में पास किया गया था लेकिन इनके संशोधन पास न किए जा सके । तत्कालीन परिवहन मंत्री ने कहा था कि इन संशोधनों को राज्य सभा में पास किया जाएगा । ये राज्य सभा में पास हो चुके हैं और अब केवल लोक सभा में पास होने हैं । इसी कारण मैं इस संकल्प को लाया हूं और आशा करता हूं कि इसे स्वीकार किया जाएगा ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : संकल्प से 'डाकू' तथा 'नक्सलवादी' शब्द दूर करने के लिए मैं प्रधान मंत्री का धन्यवाद करता हूं । मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री उन्हें शीघ्र रिहा करने के लिए उचित कदम उठाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"यह सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि केन्द्रीय सड़क निधि जारी रखने सम्बन्धी सड़क विकास संकल्प में, 30 मार्च, 1976 को लोक सभा द्वारा स्वीकृत रूप में, निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :—

संकल्प के पैरा 6 (घ) में :—

(क) पंक्ति 4 में, 'समाज-विरोधी' और 'तत्वों' शब्दों के बीच 'आपराधिक' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) पंक्ति 3 और 4 में, 'डाकुओं, नक्सलावादियों आदि जैसे' शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) पंक्ति 5 में, 'पर्यटन' और 'आदि' शब्दों के बीच 'कृषि विपणन क्षेत्र सम्पर्क' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) पंक्ति 5 में, 'परमाणु' शब्द से पहले 'राज मार्गों आदि पर चालकों, संवाहकों और क्लीनरों के लिए सड़क से लगते विश्राम स्थल और यात्रियों के लिए सड़क के किनारे सुविधाओं की व्यवस्था करने सम्बन्धी कार्यक्रम में आंशिक योगदान' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The resolution was adopted.

चाय, काफी तथा क्रोमाइट अयस्क की कतिपय श्रेणियों पर निर्यात शुल्क में वृद्धि किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE. INCREASE IN RATES OF EXPORT DUTY ON TEA, COFFEE AND CERTAIN CATEGORIES CHROMITE ORE

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं का अनुमोदन करती है, अर्थात् :—

(क) दिनांक 9 अप्रैल, 1977 की संख्या सा० सां० नि० 171 (ङ) जिसमें उपर्युक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में नए शीर्ष संख्या 23 के अन्तर्गत चाय पर 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात शुल्क लगाया गया है;

(ख) दिनांक 26 अप्रैल, 1977 की संख्या सा० सां० नि० 193 (ङ) जिसमें काफी पर निर्यात शुल्क 1300 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2200 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है ; और

(ग) दिनांक 11 मई, 1977 संख्या सा० सां० नि० 234 (ङ) जिसके द्वारा उपयुक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शीर्ष संख्या 12 के स्थान पर नया शीर्ष तथा प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की गई हैं जिनके द्वारा क्रोमाइट अयस्क की कतिपय श्रेणियों पर निर्यात शुल्क लगाया गया है और क्रोमाइट अयस्क कन्सेंट्रेट्स की कतिपय श्रेणियों पर निर्यात शुल्क की दरों में वृद्धि की गई है, उपर्युक्त प्रत्येक अधिसूचना की तारीख से लागू ।"

माननीय सदस्यों को पता है कि चाय की कीमतें जनवरी 1977 से बढ़ती जा रही ह । जनवरी में चाय के दाम 13 रुपए 50 पैसे प्रति किलो थे जो अप्रैल में बढ़ कर 30 रुपए प्रति किलो हो गए । इस वृद्धि का कारण विदेशी मंडियों में भारत की चाय की अधिक मांग है । देश में चाय की कीमतें स्थिर रखने के उद्देश्य से सरकार ने 9 अप्रैल, 1977 से 5 रुपए प्रति किलो की दर से निर्धारित शुल्क लगाने का निर्णय किया है ।

सदन को यह जान कर खुशी होगी कि देश में चाय का मूल्य स्तर बनाए रखने के लिए जो यह उपाय किया गया है, उसके परिणाम महत्वपूर्ण रहे हैं और चाय के मूल्यों में काफी गिरावट आई है । चाय के मूल्यों पर काफी निगरानी रखी जा रही है ।

काफी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भी जुलाई 1975 से वृद्धि होती जा रही है । ये कीमतें मार्च 1977 तक बढ़ती आई हैं । अतः हमने 26 अप्रैल, 1977 से निर्धारित शुल्क 1300 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2200 रुपए प्रति क्विंटल की निर्यात शुल्क लगाते हुए हमने उत्पादकों तथा निर्यातकों के हितों का ध्यान रखा है ।

4 मई, 1977 तक क्रोमाइट अयस्क पर 15 रुपए प्रति टन निर्यात शुल्क लगता था । यह एक महत्वपूर्ण धातु है और हम इसका निर्यात कम करना चाहते हैं । इसलिए हमने 200 रु पये

से लेकर 50 रुपए प्रति टन निर्यात शुल्क लगाने का निर्णय किया है, इससे देश के अंदर इस धातु की कीमतें कम हो जाएंगी। मैं इस संकल्प को सभा द्वारा पारित किए जाने की सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :—

"कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं का अनुमोदन करती हैं, अर्थात् :—

(क) दिनांक 9 अप्रैल, 1977 की संख्या सा० सां० नि० 171 (ङ) जिसमें उपर्युक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में नए शीर्ष संख्या 23 के अन्तर्गत चाय पर 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात शुल्क लगाया गया है;

(ख) दिनांक 26 अप्रैल, 1977 की संख्या सा० सां० नि० 193 (ङ) जिसमें काफी पर निर्यात शुल्क 1300 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2200 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है; और

(ग) दिनांक 11 मई, 1977 संख्या सा० सां० नि० 234 (ङ) जिसके द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शीर्ष संख्या 12 के स्थान पर नया शीर्ष तथा प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की गयी हैं जिनके द्वारा क्रोमाइट अयस्क की कतिपय श्रेणियों पर निर्यात शुल्क लगाया गया है और क्रोमाइट अयस्क कन्सेंट्रेट्स की कतिपय श्रेणियों पर निर्यात शुल्क की दरों में वृद्धि की गयी है, उपर्युक्त प्रत्येक अधिसूचना की तारीख से लागू।"

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : पिछले सत्र के दौरान मंत्री महोदय ने निर्यात शुल्क को बढ़ाने के लिए एक संकल्प पेश किया था। जब कभी अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में मूल्य वृद्धि होती हो तो सरकार निर्यात शुल्क बढ़ा देती है और जब कभी मूल्यों में कमी के आसार दिखाई देते हैं तो निर्यात शुल्क को घटा देती है। काफी बोर्ड ने एक ऐसे तरीके का सुझाव दिया है जिसके द्वारा मूल्यों में उतार चढ़ाव होने पर निर्यात शुल्क उसके अनुरूप हो जाएगा, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

चाय के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में तेजी से बढ़ रहे हैं। कल श्री मोहन धारिया ने बताया कि 5 रुपए का निर्यात शुल्क लगाने से चाय के मूल्य को कम करने में सहायता मिलेगी।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि चाय पर शुल्क बढ़ाने की काफी गुजांइश है। उन्हें निर्यात शुल्क थोड़ा और बढ़ाना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंडी में और अधिक चाय उपलब्ध कराई जा सके।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : काफी पर लगाए जाने वाले निर्यात शुल्क द्वारा सरकार को पर्याप्त आय हो रही है। इस लाभ का कम से कम कुछ भाग काफी उत्पादकों को भी दिया जाना चाहिए।

श्री एन० एम० पटेल : अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में काफी के मूल्य इसलिए बढे हैं कि ब्राज़ील में काफी की फसल बहुत नष्ट हुई तथा अब ब्राज़ील की काफी को मंडी में आने में कुछ समय लगेगा। अतः अब सम्भावना यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में काफी के भाव ऊंचे ही रहेंगे।

इस सुझाव पर हम निश्चय ही विचार करेंगे कि हमें काफी बोर्ड के प्रस्ताव पर सोच विचार करना चाहिए। हम इस पर पुनः विचार करेंगे और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 7 की उप-धारा (3 के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं का अनुमोदन करती है, और :—

(क) दिनांक 9 अप्रैल, 1977 की संख्या सा० सां० नि० 171 (ङ) जिसमें उपर्युक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में नए शीर्ष संख्या 23 के अन्तर्गत चाय पर 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात शुल्क लगाया गया है ;

(ख) दिनांक 26 अप्रैल, 1977 की संख्या सा० सां० नि० 193 (ङ) जिसमें काफी पर निर्यात शुल्क 1300 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2200 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है ; और

(ग) दिनांक 11 मई, 1977 संख्या सा० सां० नि० 234 (ङ) जिसके द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शीर्ष संख्या 12 के स्थान पर नया शीर्ष तथा प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की गयी हैं जिनके द्वारा क्रोमाइटर अयस्क की कतिपय श्रेणियों पर निर्यात शुल्क लगाया गया है और क्रोमाइट अयस्क कन्सेंट्रेंटस की कतिपय श्रेणियों पर निर्यात शुल्क की दरों में वृद्धि की गयी है, उपर्युक्त प्रत्येक अधिसूचना की तारीख से लागू।"

संकल्प स्वीकृत हुआ

The Resolution was adopted.

अतिरिक्त उपलब्धियों (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन विधेयक

ADDITIONAL EMOLUMENTS (COMPULSORY DEPOSIT) AMENDMENT BILL

वित्त, राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : इस विधेयक में अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के आधे भाग को 6 जुलाई, 1977 तक अनिवार्य जमा करने की व्यवस्था है। वर्तमान सरकार के सत्ता रूढ़ होने के बाद श्रमिक संघों तथा कर्मचारी संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि अनिवार्य जमा एकदम समाप्त कर देनी चाहिए। उनके सुझावों पर सोच विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के आधे भाग के अनिवार्य जमा को शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाए। चूंकि संसद का सत्र नहीं था राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उपराष्ट्रपति ने 9 मई, 1977 को एक अध्यादेश जारी करके उपरोक्त अधिनियम में संशोधन कर दिया ताकि 6 मई, 1977 के बाद अनिवार्य जमा आवश्यक न रहे। इस विधेयक में इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

जैसा कि सदन को पता है अधिनियम के अधीन अनिवार्य जमा की अदायगी पांच वार्षिक किस्तों में होनी थी जिसकी पहली किस्त 6 जुलाई, 1976 को दी गई थी। 6 जुलाई, 1977 को दूसरी किस्त देय थी। अनुमान लगाया गया कि इस किश्त की अदायगी पर लग-भग 326 करोड़ रुपए लगेंगे। यह भी आशंका व्यक्त की गई कि वर्तमान हालात को देखते

हुए इससे मुद्रास्फीति भी हो सकती है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि 6 जुलाई, 1977 को देय ब्याज सहित राशि नकद न दी जाकर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में डाल दी जाए। यह व्यवस्था विधेयक के खंड 3 में की गई है।

यह व्यवस्था केवल दूसरी किस्त के लिए की गई है जो 6 जुलाई, 1977 को देय होगा। तीसरी किश्त की अदायगी 6 जलाई, 1978 को देय होगी जिसका भुगतान गत वर्ष की भांति नकद किया जाएगा।

यह धारणा गलत है कि जब अदायगी की राशि भविष्य निधि खाते में डाली जाएगी तो कर्मचारियों को ब्याज कम दर के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अतिरिक्त महंगाई भत्ता खाते में $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज मिलता है, परन्तु यह साधारण ब्याज होता है और इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता। दूसरी ओर भविष्य निधि में ब्याज की दर 7 से 8 प्रतिशत है और इसमें चक्र वृद्धि ब्याज मिलता है इससे यह स्पष्ट है कि भविष्य निधि खाते में डाली गई राशि पर ब्याज की दर बैंकों में दीर्घावधि जमा पर मिलने वाली ब्याज की दर से कम नहीं है।

कुछ कर्मचारियों एवं श्रमिक संघों ने सरकार से यह कहा है कि वह दूसरी किश्त को भविष्य निधि में डालने के निर्णय पर पुनः विचार करे। यह सरकारी कर्मचारियों और मजदूरों की भावनाओं के प्रति जागरूक है। हम कर्मचारियों तथा मजदूरों के वैध अधिकारों को उचित ठहराने तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि पिछली सरकार की फिजूलखर्ची के कारण गत वर्ष मुद्रा सप्लाई में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस पर यदि इस वर्ष जुलाई, में 326 करोड़ रुपए का नकद भुगतान किया जाए, जो 500 करोड़ रुपए की कटौती न करने के अतिरिक्त होगा, तो मुद्रा सप्लाई में बहुत तीव्रता आ जाएगी और निश्चय ही कीमतों के स्तर में वृद्धि होगी। सरकार मूल्य स्तर में स्थिरता लाने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। अतः यद्यपि सरकार कर्मचारियों एवं श्रमिक संघों के अभ्यावेदनों में कही गई बात की सराहना करती है, फिर भी उनकी मांगें स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। जब यह विधेयक जुलाई 1974 में पेश किया गया था तो उस समय विश्व में मूल्य वृद्धि जोरों पर थी और हमारे देश में 33% मूल्य बढ़े थे। मूल्य वृद्धि रोकने तथा मूल्यों को कम करने के लिए कांग्रेस सरकार ने कई उपाय किए थे जिनमें यह विधेयक भी शामिल था। उस समय हमारे मित्रों ने, जो अब सरकारी पक्ष में हैं और इस विधेयक के पक्ष में हैं, इस विधेयक का कड़ा विरोध किया था। श्री मधु लिमये ने महान्यायवादी की राय जानने की बात कही थी। मौलिक अधिकारों और संविधान के उपबन्धों का हवाला दिया गया था। उस समय हमारी सरकार ने कहा था कि यह जनहित में किया जा रहा है। इस उपाय के परिणामस्वरूप मूल्य स्थिर हुए थे और मूल्य कम भी होने लगे थे। कांग्रेस सरकार ने आश्वासन दिया था कि यह राशि 5 बराबर किस्तों में वापस दी जाएगी। जब 1976 में पहली किस्त देय थी तो वह नकद दी गई थी। वह दूसरी कस्त भी नकद वापस करती यदि वह सत्तारूढ़ होती। परन्तु जनता पार्टी ने क्या किया है? उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि वे अनिवार्य जमा योजना को समाप्त कर देंगे। अब इनका कहना है कि यह राशि नकद नहीं दी जाएगी बल्कि

कर्मचारियों की भविष्य निधि में जमा कर दी जाएगी । जनता पार्टी ने विश्वासघात किया है क्योंकि उन्होंने अपने घोषणापत्र में स्पष्ट कहा था कि वे अनिवार्य जमा योजना को समाप्त कर देंगे । वे अपने वचन में मुकर रहे हैं ।

मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं । पिछले तीन महीने में मूल्यों में 10 प्रतिशत वद्धि हुई है । कपास, खाद्य तेलों और दालों के मूल्य बढ़ रहे हैं। यदि आपने इन वस्तुओं का आयात करने का प्रयास किया होता तो मल्य कम रह सकते थे । आपको अनाज का भारी स्टाक हमसे विरासत में मिला है । आपको हमसे 3000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा भी मिली है । यदि आपने उचित कार्यवाही की होती तो मूल्यों में वृद्धि न होती । अतः मेरा यह कहना है कि जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लोगों से जो वायदे किए थे, उन्हें पूरा करने में असफल हुई है । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोनानी) : माननीय मंत्री द्वारा लाया गया संशोधी विधेयक अत्यन्त असन्तोषजनक है । सरकार का यह रवैया मजदूरों के प्रति एक धोखा है । वास्तव में अनिवार्य जमा योजना 6 जुलाई को समाप्त होने वाली थी । योजना 6 मई को समाप्त किए जाने का स्वागत है । जहां श्रमिक वर्ग को केवल 2 महीने के लिए ही राहत दी गई है, वहां सरकार ने दूसरी किस्त की अदायगी को रोक दिया है । कर्मचारियों को आशा थी कि उन्हें दूसरी किस्त उचित समय पर मिल जाएगी । सरकार ने इसे रोक कर ठीक काम नहीं किया है । इससे सरकार अपना विश्वास खो बैठेगी ।

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के अत्यधिक खर्च करने के कारण अनिवार्य जमा की दूसरी किस्त देने से मुद्रा स्फीति बढ़ने का खतरा है । यह बड़े खेद की बात है कि पिछली सरकार द्वारा अधिक खर्च करने की हानि कर्मचारियों को उठानी पड़े । मंत्री महोदय को मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए कोई और तरीका निकालना चाहिए । वास्तव में, यह तर्क देना कि अनिवार्य जमा की दूसरी किस्त का भुगतान करने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, सरकार का दिवालियापन दर्शाता है । कर्मचारियों में व्याप्त घोर असन्तोष को देखते हुए इस विधेयक पर फिर से विचार किया जाना चाहिए । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां गरीब श्रमिक वर्ग को उनकी दूसरी किस्त न देकर उन्हें आवश्यक वस्तुएं खरीदने से वंचित किया जा रहा है वहां अमीर लोग खुले हाथों खर्च कर रहे हैं । इसमें उचित सन्तुलन रखा जाना चाहिए और श्रमिक वर्ग को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का जोरदार विरोध करता हूं और सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की अपील करता हूं ताकि सरकार का विश्वास लोगों में बना रहे ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं भी इस विधेयक का विरोध करता हूं । जबकि विधेयक का पहला भाग मंहगाई भत्ते से कटौती को रोकने से सम्बन्धित है, वहां कर्मचारियों को अनिवार्य जमा की दूसरी किस्त नहीं दी जा रही है और भविष्य निधि में जमा किया जा रहा है । वित्त मंत्री ने कहा है कि यह मुद्रास्फीति को रोकने के लिए किया गया है परन्तु उन्होंने इसे रोकने के लिए और मूल्यों को कम करने के लिए और कौन से कदम उठाए हैं । उनके बजट भाषण अथवा इस विधेयक से उनका कुछ पता नहीं चलता । मुद्रास्फीति उत्पादन बढ़ाकर ही रोकी जा सकती है, अन्यथा उसे नहीं रोका जा सकता ।

इस पैसे के गरीब मजदूरों के पास जाने से निश्चय ही अर्थ-व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । बल्कि इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती और उन्हें ऋण से राहत मिलती

जब मूल अधिनियम पास किया गया था, तो यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक कर्मचारी का अलग-अलग खाता रखा जाएगा । मेरा विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है । इन खातों को रखने का उत्तरदायित्व भविष्य निधि आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त पर है । परन्तु अभी तक ऐसा कोई खाता नहीं खोला गया है । मुझे यकीन है कि बहुत से बड़े-बड़े नियोजकों ने वह राशि जमा नहीं की है जो उन्होंने कर्मचारियों के वेतन से काटी है । सरकार को इन बातों पर विचार करना चाहिए । परन्तु उन्होंने कुछ नहीं किया । अचानक इस विधेयक को ले आए हैं । कारण यह बताया है कि वे रोके हुए पैसे को कर्मचारियों को न देकर मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोकना चाहते हैं । परन्तु यह बात बिल्कुल गलत है कि कर्मचारियों को पैसा देने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी और मूल्यों में वृद्धि होगी । अतः मेरा अनुरोध है कि इन सभी मामलों पर पुनर्विचार किया जाए और धन को वापस लौटाने के एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिए कदम उठाए जाएं ।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । इस संशोधन को लाने का कोई औचित्य नहीं है । सभी संघों से सम्बन्धित कर्मचारियों ने, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हैं या वे सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, अपने-अपने संघों में संकल्प पारित किया है और सरकार से इस संशोधन को पास न करने का अनुरोध किया है । यदि जनता सरकार के मन में कर्मचारी वर्ग और पद दलित लोगों के लिए सहानुभूति है तो वह इस संशोधन को पास नहीं करेगी । संशोधन के पीछे जो विचारधारा है वह खतरनाक है । मुद्रास्फीति रोकने के लिए कर्मचारियों का वेतन रोकना एक गलत सिद्धान्त है जिसे पूंजीवादी देश ही अपनाते हैं । बहुत से देशों में मुद्रास्फीति कतई नहीं है क्योंकि वहां की अर्थ-व्यवस्था कर्मचारी प्रधान है । पिछली सरकार ने एक गलती की थी और कहा था कि इससे मूल्य कम होंगे परन्तु मूल्य कभी भी कम नहीं हुए । अतः मैं कहूंगा कि लाखों मजदूरों के हित में इस विधेयक को पास न किया जाए ।

कमचारियों के निर्वाह मूल्य सूचकांक में मूल्य वृद्धि का प्रभाव लक्षित नहीं किया गया है । मुझे प्रसन्नता है कि श्रम मंत्री एक सम्मेलन बुलाने के लिए सहमत हो गए हैं जिसमें मूल्य सूचकांक बनाने में की गई गलतियों को दूर किया जाएगा । वर्तमान परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि का कर्मचारियों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा । अतः मैं जनता सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को पास न करे ।

श्री सोनूसिंह पाटिल (इरन्डोल) : मैं इस विधेयक का समर्थन दो आधारों पर कर रहा हूं । प्रथम, यह किसी भी प्रकार से कर्मचारियों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता । विधेयक में अनिवार्य जमा राशि का भुगतान 2 वर्ष 10 मास के लिए स्थगित किया गया है क्योंकि यदि सारी राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो इससे हमारी अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

इस देश में 7 से 10 प्रतिशत तक संगठित श्रमिक हैं । उन लाखों कर्मचारियों का क्या होगा जो संगठित नहीं है । क्या हमें उनका ध्यान नहीं रखना है । हमें उनके हितों की भी रक्षा करनी है जो संगठित नहीं हैं । एक रेल कर्मचारी को औसतन प्रति वर्ष 6000/- रुपए

वेतन मिलता है, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को 9000/- प्रति वर्ष मिलते हैं जबकि क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले को केवल 500 या 600 रुपए ही मिलते हैं।

जनता पार्टी के घोषणापत्र में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अनिवार्य जमा राशि का तुरन्त भुगतान किया जाएगा । जनता सरकार पूर्णतः सतर्क है कि कर्मचारियों के अधिकारों का किसी प्रकार हनन न हो । यह विधेयक पूर्णतया हानि रहित है। मजदूर नेता देश की अर्थ व्यवस्था को देखते हुए विधेयक के प्रति उदार रुख अपनाएं और इसका समर्थन करें ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मुझे इस बात से बहुत क्षोभ हुआ है कि जनता सरकार अपने कार्यकाल के तीन मास के अन्दर ही इस विधेयक को लाई है जिसके द्वारा मजदूरों से शान्त रहकर बलिदान करने को कहा जा रहा है तथा शेष लोगों से ऐसा करने का कुछ नहीं कहा गया है । जनता पार्टी के समर्थकों ने, जब वे विपक्ष में थे, अनिवार्य जमा योजना का विरोध किया था और कहा था कि यह मजदूर विरोधी और जन विरोधी है । अब उनमें से कुछ लोगों के सत्ता में आ जाने से वह जनहित और मजदूरों के हित में कैसे हो सकता है ।

अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं हमने देश भर में यह कहा था कि नई सरकार मजदूर समर्थक, लोक समर्थक और निम्न आय वर्ग समर्थक होगी तथा वह इनकी हालत में सुधार करने वाले कदम उठाएगी । अब वित्त मंत्री का कहना है कि पिछली सरकार द्वारा अधिक खर्च किए जाने, जो स्पष्ट नहीं किया गया है, के कारण 326 करोड़ रुपया लोगों को नहीं दिया जा सकता तथा वह उनकी भविष्य निधि में जमा किया जाएगा ।

जब कभी भी मूल्यों में वृद्धि का या मुद्रास्फीति बढ़ाने का प्रश्न उठता है और जब कभी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रश्न उठता है तो समाज के सम्पन्न वर्गों के लोगों, जो संख्या में कम हैं और जो अर्थ-व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, पर कर लगाने के बजाए उन्हें पूर्णतया छोड़ दिया जाता है और वेतन भोगी कर्मचारियों को ही तंग किया जाता है । हर समय उन पर ही कर लगाया जाता है ।

जहां तक ब्याज की दर का प्रश्न है वित्त मंत्री ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि इससे मजदूर वर्ग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत उन्हें 12 1/2 प्रतिशत ब्याज मिलता था । अब इस राशि का भविष्य निधि में स्थानान्तरित किया जा रहा है । ब्याज के सम्बन्ध में उन्हें हानि होगी । इससे जनता पार्टी का मजदूर समर्थक रूप लक्षित नहीं होता । मैं यह महसूस करता हूं कि गत लोक सभा चुनाव के समय जो वायदे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है ।

जनता पार्टी इस पर फिर से विचार करे। यदि यह इस समय सम्भव नहीं है तो इस पर बाद में भी विचार किया जा सकता है क्योंकि इस विधेयक से जानबूझ कर या अनजाने में लोग यह महसूस करने लगे हैं कि जनता सरकार का रुख मजदूर-विरोधी और जन-विरोधी है ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (आगरा) : महोदय, वित्त मंत्री जी ने अनिवार्य बचत योजना की राशि की नकद न देने के लिए विस्तार से स्पष्टीकरण कर दिया है । देखना यह है कि जो राशि इतनी देर से जमा है उसके न दिए जाने से क्या कर्मचारियों को वास्तव में कठिनाई होगी ?

जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा है, इस राशि की अदायगी से तो मुद्रास्फीति को ही बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचगा। मुद्रास्फीति को तो हम रोकना चाहते हैं इसीलिए इस राशि को भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया गया है। इस राशि पर यदि पूरा 12 1/2 प्रतिशत ब्याज नहीं तो उसके करीब-करीब ही मिलेगा। आगे से अनिवार्य बचत की कटौती भी बंद करके जनता पार्टी ने अपना वायदा पूरा कर दिया है।

श्री वसंत साठे (अकोला) : महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि जनता पार्टी ने श्रमिकों के साथ विश्वास घात किया है। उन्होंने निर्वाचन से पूर्व वचन दिया था कि अनिवार्य बचत योजना को समाप्त किया जाएगा और बोनस फिर से मिलने लगेगा। अब आप अपना वचन पूरा नहीं कर रहे हैं।

ग्रामीण और शहरी श्रमिकों की प्रतिवर्ष आय में बहुत अंतर है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। आप कहते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो क्या मुद्रास्फीति के डर से गरीबों को भूखे मार दिया जाए। किसानों को भी उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए।

होना तो यह चाहिए कि कृषि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए ताकि उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक उत्पादन हो सके और कृषि श्रमिकों को और रोजगार मिल सके लेकिन आप तो क्रय शक्ति कम कर रहे हैं ताकि जीवन की आवश्यकताएं भी पूरी न हो सकें।

इस प्रकार से पूंजीवादी नीति अपना कर आप स्वस्थ समाज की स्थापना नहीं कर सकते। इस तरह विधिक और नैतिक दोनों तरह से जनता सरकार की नीति गलत है।

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA (South Delhi) : Sir, so far as I feel there was an understanding between the public and the Janta Party that the amount deposited in the C.D.S. will be refunded. So, as soon as the position eases, this amount should be paid back.

The Hon'ble Finance Minister should categorically state the position regarding the interest whatever interest was paid earlier should continue to be paid, this will clear the misunderstanding in the minds of employees.

Secondly, the procedure for withdrawal of amount from the provident fund should be made more convenient. An employee should be able to withdraw the amount whenever he feels the necessity of it. After all it is his own money.

श्री सौगत राय (बैरकपूर) : अध्यक्ष महोदय, म इस विधेयक का विरोध करता हूं और श्री के० ए० राजन और श्री वयालार राशि द्वारा पश किए गए संशोधनों का समर्थन करता हूं।

हमने आश्वासन किया था कि अनिवार्य बचत योजना की राशि 5 किश्तों में वापस कर दी जाएगी। इसी सभा में पिछले वित्त मंत्री श्री सुब्राह्मण्यम ने ऐसा करने का वचन दिया था और 1976 में पहली किस्त अदा भी कर दी गई थी। अब आपने यह विधेयक लाकर पिछली सरकार द्वारा दिए गए वचन को भंग किया है।

श्रमिकों के धन को भविष्य निधि में रख कर सरकार ने भविष्य निधि के उद्देश्य को ही समाप्त कर दिया है। भविष्य निधि तो अंशदायी होती है। पर इस संशोधन से मालिक को इस निधि में अंशदान करने से छूट मिल गई है।

इसके अतिरिक्त इस राशि पर ब्याज को घटा कर 5% कर दिया गया है। आप केवल इस दर्शन पर चल रहे हैं कि संगठित श्रमिक वर्ग को दिए गए पैसे से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है।

लेकिन यह तर्क गलत है । मुद्रास्फीति को उत्पादन बढ़ा कर ही रोका जा सकता है । लेकिन सरकार तो मुद्रास्फीति के नाम पर श्रमिकों की जेब काट रही है ।

आज इसी कारण देश में व्यापक रूप से हड़तालें हो रही हैं । औद्योगिक सम्बन्ध बिड़गड़ रहे हैं और श्रम मंत्रालय मूक दर्शक बना बैठा है ।

मैं जनता पार्टी से अपील ही कर सकता हूं कि वह गरीबों की जेब न काटें । संगठित श्रमिक वर्ग की उपेक्षा न करे । यदि आप मूल्य कम करना चाहते हैं तो वितरण प्रणाली को बेहतर बनाइए ।

यह विधेयक श्रमिक विरोधी है और जनता पार्टी द्वारा दिये गये वचन के विरुद्ध है ।

Shri Y. P. SHASTRI (Rewa) : Sir, I am sorry that the Janta Party has brought forward this Bill. The condition of workers is pitiable and the Government have admitted that the prices are rising and the purchasing power has decreased. I think to deposit the amount of C.D.S. in Provident Fund is injustice with the employees. It is a wrong thinking to say that money paid to the poor to buy daily necessities will increase inflation. The best way to check inflation is to eliminate the parallel economy of black money. Only then we can bring our economy on sound footing.

The workers earn their income by the sweat of their brow. This is their real income. This should not go into the C.D.S. Then employees and workers are poor and they do not add to the inflation. It is the black money which is in abundance with the big industrialists that creates the problem of inflation.

So it will not be proper to reduce be purchasing power of the poor. They are already living from hand o mouth. This Bill will crate an atmosphere of disappointment in the country.

श्री बी० के० नायर (मावेलिकरा) : अनिवार्य बचत योजना आरम्भ से अप्रिय रही है और श्रमिकों ने इसका लगातार विरोध किया है । फिर भी इस योजना को आकर्षक बनाने के लिए दो बातें कही गई थी । एक तो यह कि इस पर ब्याज अधिक मिलेगा और दूसरे यह है कि एक निश्चित अवधि के बाद इसे लौटा दिया जायेगा ।

अब जनता सरकार इसे भविष्य निधि में डालने को कह रही है । वह लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है । यह उनकी चेतना को ही चुनौती है ।

सारा देश देख रहा है कि सरकार मुद्रास्फीति को कैसे रोकती है । मूल्य निरंतर बढ़ रहे हैं । इससे श्रमिकों में रोष उत्पन्न हुआ है । उन पर ऋणों का बोझ बढ़ रहा है । उनके पैसे को भविष्य निधि में जमा करने से उन्हें कोई राहत न मिलेगी । यह रुपया उन्हें वापस किया जाना चाहिए ।

मेरा सुझाव यह है कि श्रमिकों को छूट मिलनी चाहिए कि वह चाहें तो अपना पैसा ले सकेंगे और यदि उनकी इच्छा हो तो उसे भविष्य निधि में जमा करा दें ।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपूर) : महोदय, विधेयक का विरोध करने वालों में मैं भी शामिल हूं । इस विधेयक का कोई नैतिक औचित्य नहीं । श्रमिकों को ब्याज के रूप में भी हानि होगी ।

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, इस विधेयक का विरोध करने के लिए जो तर्क दिए गए हैं उनसे मुझे हैरानी हुई है । कहा गया है कि मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया गया है । देखना यह है कि यह योजना कब लाई गयी थी और उसका उद्देश्य क्या था ?
(**व्यवधान**· · · · · ·)

वर्ष 1974 में यह योजना मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ही आरम्भ की गई थी । अब भी इसका उद्देश्य यही है अर्थात् मूल्यों को बढ़ने से रोका जाए । इस समय मूल्य बढ़ रहे हैं । हम उन्हें रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसमें साथ देना आपका भी कर्तव्य है ।

श्रमिकों के कहने पर हमने अनिवार्य बचत योजना वापस ले ली । उसके बाद 500 करोड़ रुपया परिचालन में आ जाएगा । दूसरी किस्त में ही 326 करोड़ रु० दिए जाने हैं । हमें यह देखना है कि अनावश्यक रुपया बाजार में न आए ।

इसीलिए इस राशि को भविष्य निधि में जमा किया जाना है । इसका अर्थ है कि श्रमिक अपना पैसा निकलवा सकेंगे । किसी भी आवश्यक स्थिति में वे अपना पैसा ले सकेंगे ।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हम अन्य उपायों पर भी विचार कर सकते थे । मैं इस पर विचार करने को तैयार हूं । ये अन्य उपाय क्या हैं ? यह कहना गलत है कि अमीर लोगों को छोड़ दिया गया है । जो लोग आय कर देते हैं उन्हें अनिवार्य जमा योजना जारी रखनी ही पड़ेगी । उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है । मैं अनुभव करता हूं कि इस विधेयक का समर्थन सब लोगों को करना चाहिए ।

मैं फिर इस बात पर बल देना चाहता हूं कि हम कर्मचारियों की इस राशि को हमेशा के लिए नहीं रखना चाहते । इस समय अदायगी करने से मूल्यों में वृद्धि होगी ।

श्री धीनेन भट्टाचार्य : मूल अधिनियम, को पेश करते हुए भी यही तर्क दिया गया था ।

श्री एल० के० डोले (लखीमपुर) : चुनाव से पहले अनिवार्य जया योजना सम्बन्धी दिए वायदों को क्या आप पूरा नहीं कर रहे हैं ? **(व्यवधान)**

श्री एच० एम० पटेल : श्री मावलंकर ने सरकार की फिजूलखर्ची की बात की है । जिस ढंग की अर्थ व्यवस्था की गयी उसके फलस्वरूप मुद्रा प्रसार में 17 प्रतिशत वृद्धि हुई । यह देखना महत्वपूर्ण है कि मुद्रा का उतना ही प्रसार किया जाए जितना कि जरूरत हो ।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : आप अनिवार्य बचत योजना को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा रहे हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : अनिश्चित काल की बात कहां है ? मैं इस सम्बन्ध में विवाद म नहीं पड़ना चाहता । **(व्यवधान)**

श्री के० ए० राजन : अनिवार्य जमा योजना की राशि पर 12.5 प्रतिशत ब्याज मिलता है । इसे भविष्य निधि खाते में जमा किए जाने पर कर्मचारियों को 5 प्रतिशत का घाटा होगा क्योंकि भविष्य निधि का दर 7.5 प्रतिशत है ।

श्री एच० एम० पटेल : भविष्य निधि में राशि रखने पर ब्याज में हानि होती है लेकिन हानि इतनी अधिक नहीं है । भविष्य निधि से कर्मचारी कभी भी पैसा निकाल सकता है ।

श्री धीनेन भट्टाचार्य : इतना आसान नहीं है कि जब भी चाहें, ले लें ।

श्री एच० एम० पटेल : कर्मचारी जब भी चाहे, ले सकता है ।

श्री वसंत साठे : मैं कहता हूं कि यह इतना आसान नहीं है

SHRIMATI CHANDRAVATI (BHIWANI) : I am risnig on a point of order. The compulsory Deposit Scheme will be abolished after completion of enquiry against all those who indulged in compulsory loot.

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं...... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में	58	विपक्ष में	52
Ayes	58	Noes	52

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, आपको प्रक्रिया समझनी चाहिए थी । बहुत से सदस्य नए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई बात गलत हो गई हो तो आप अब भी ठीक कर सकते हैं ।

श्री समर गुहा (कंटाई) : मंत्री महोदय विधेयक की अगली अवस्था पर अभी कार्यवाही न करें । इस बारे कुछ और विचार विमर्श होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री इस सुझाव पर विचार करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री एच० एम० पटेल : हम अगली कार्यवाही करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार चर्चा आरम्भ करते हैं । मैं खण्ड 2 को मतदान के लिए रखता हूं । इस के लिए कोई संशोधन प्राप्त नहीं हुए ।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं जानना चाहता हूं कि इस कठिनाई का क्या समाधान है ? एक भविष्य निधि पर 6 प्रतिशत और अनिवार्य निक्षेप पर 12.5 प्रतिशत ब्याज मिलता है । आप ब्याज की दर कम करके कर्मचारी को दंडित नहीं कर सकते । उसे घाटा क्यों होना चाहिए ? उसका क्या दोष है ? मंत्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण करें ।

श्री एच० एम० पटेल : मैं कह रहा था कि यद्यपि ब्याज दर कम है, फिर भी इसमें कर्मचारियों को कई रियायतें दी गयी हैं । मैं अनिवार्य निक्षेप पर ब्याज की दर बढ़ाने को तैयार हूं । यह सोचना भी गलत है कि हम इस राशि को भविष्य निधि में अनिश्चित काल के लिए रखना चाहते हैं । जब भी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा । हम इस मामले पर विचार करेंगे (**व्यवधान**) और एक संतोषजनक समाधान निकालने का प्रयास करेंगे (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राजन के संशोधन को मतदान के लिए रखूंगा । मेरे विचार में माननीय सदस्य मतदान के लिए बटन दबाने की प्रक्रिया को समझ गए होंगे । हर माननीय सदस्य को स्विच दबाना है और अपनी इच्छा के अनुसार 'पक्ष में' अथवा 'विपक्ष में' किसी भी बटन को दबाना है । माननीय सदस्यों को यह सब काम सावधानीपूर्वक करना है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया

Amendment No. 1 was put

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में :	73	**विपक्ष में :**	111
Ayes :	73	Noes :	111

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 3, 4, 1, अधिनियमन सूत्र, विधेयक का नाम, विधेयक के अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The resolution was adopted.

खण्ड 3, 4, 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 3, 4, 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

राष्ट्रपतीय तथा उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक

PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS (AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय चुनाव अधिनियम 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

यह विधेयक विवाद रहित है । पहले राष्ट्रपतीय अथवा उपराष्ट्रपतीय चुनाव सम्बन्धी विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता था । 1975 में संवैधानिक संशोधन द्वारा यह शक्ति संसद को सौंपी गई जो इस कार्य को किसी अधिकारी को सौंपे गए । फरवरी, 1977 में जारी किए गए आदेश द्वारा 9 सदस्यों का एक प्राधिकरण गठित किया गया । यह सरकार समझती है कि उपरोक्त संशोधन का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारों को पुनः बहाल किया जा सके। विधेयक का उद्देश्य बहुत स्पष्ट तथा साधारण है। इस विधेयक से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता के विचार का मामला पुनः उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाया जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद (कालीकट) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि 43वें संशोधन के समय ही विरोधी पक्ष के नेता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम इस विधेयक का समर्थन करेंगे। मैं इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस समय सदन के समक्ष 39वां संशोधन पेश किया गया था उस समय 39वें संशोधन को पेश करके उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को न्यायाधिकरण को हस्तान्तरण करने के पीछे एकमात्र कारण यह था कि हम अधिकांश प्रजातांत्रिक देशों के विभिन्न संविधानों, संवैधानिक परम्पराओं तथा प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि विभिन्न विधान मण्डलों तथा राष्ट्राध्यक्षों के निर्वाचन सम्बन्धी विवाद के मामले प्रायः सम्बन्धित विधानमण्डल के न्यायाधिकरण तथा/या एजेन्सी, जिसका गठन या नामनिर्देशन सम्बन्धित विधानमण्डल द्वारा किया जाता है, द्वारा निपटाए जाते हैं। प्रजातांत्रिक देशों द्वारा अपनाई जा रही इस परम्परा के अनुसरण में ही हमने 39वां संशोधन पेश किया था।

वर्तमान अधिनियम के खण्ड 13 (क) से भावी चुनाव के मामले में हम ऐसा कोई भी व्यक्ति उस समय से अभ्यर्थी माना जाएगा, जिस समय से उसने अपने आप को भावी अभ्यर्थी के रूप में घोषित किया है, शब्द हटाना चाहते हैं। मैं यहां यह बताना चाहता हूं श्रीमती इन्दिरा गांधी के चुनाव में वर्तमान विधि मन्त्री ने अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम प्रकट करने के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक तर्क दिया था और वह सफल हो गए थे। उच्चतम न्यायालय में भी उन्होंने व्यपदेशन सिद्धान्त की व्यवस्था की थी तथा निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के हित में इसे स्वीकार करने पर जोर दिया था। मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अब इन्होंने इस सिद्धान्त को त्याग दिया जबकि एक समय में वह इसे आवश्यक समझते थे तथा इसी आधार पर उन्होंने उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में उस समय मुकदमा लड़ा था।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इसके माध्यम से कांग्रेस सरकार द्वारा की गई गलतियों को सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रकार के उपायों से ही निरंकुशवाद की प्रवृत्ति का दमन किया जा सकता है। मेरे कांग्रेसी मित्र ने कहा है कि न्यायपालिका के अधिकारों को कम करने का उनका कोई प्रयास नहीं था। जनता की मताभिव्यक्ति ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैं समझता हूं अब समय आ गया है जबकि उन्हें इस वास्तविकता को समझना चाहिए।

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : यह प्रसन्नता की बात है कि कांग्रेसी सदस्य डा० सैयद मोहम्मद ने विधेयक का समर्थन किया है । परन्तु मैं माननीय सदस्य की इस धारणा से सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस सरकार की इच्छा उच्चतम न्यायालय के अधिकारों को कम करने की नहीं थी ।

उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बावजूद भी भ्रष्ट तरीके अपनाने के कारण श्रीमती गांधी का चुनाव रद्द कर दिया जाए, 39वें संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि इस चुनाव को वैध समझा जाए और साथ ही यह भी प्रावधान था कि किसी भी न्यायालय को चुनाव रद्द करने की घोषणा करने का अधिकार नहीं है ।

उच्चतम न्यायालय को 39वें संशोधन के कारण काफी कठिनाई हुई । उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि 39वें संशोधन के पास होने के बाद उच्चतम न्यायालय चुनाव याचिका के गुण दोषों, भ्रष्ट तरीकों के आरोपों के बारे में निर्णय नहीं दे सकता और न ही यह निष्कर्ष दे सकता है कि उच्च न्यायालय का निर्णय सही था और न ही उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बने रहने के बारे में कह सकता है जिसमें तत्कालीन प्रधान मन्त्री के चुनाव को अवैध ठहराया गया था । 39वें संशीधन के उद्देश्य के बारे में तर्क दिया गया ।

उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया कि ऐसे संवैधानिक संशोधन को संसद सदस्यों के दो तिहाई मत से भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो उच्चतम न्यायालय से चुनाव की वैधता के अधिकार से वंचित करता है क्योंकि इससे संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन होता है । 39वें संशोधन का यह भाग रद्द कर दिया गया ।

जहां तक 39वें संविधान संशोधन के विशिष्ट भाग का सम्बन्ध है, हम यह बात बिल्कुल नहीं मान सकते कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार छीनने का इरादा नहीं था । 39वें संशोधन के सम्बन्धित प्रावधान में स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य निकाय द्वारा किया जाएगा ।

संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति देने का अधिकार भी छीन लिया गया । यह तर्क दिया गया कि यह अन्य देशों में प्रचलित प्रथा के अनुसरण में किया गया है । इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1868 से पूर्व सदन की समितियों को चुनाव की वैधता के बारे में निर्णय देने का अधिकार था । बाद में यह महसूस किया गया कि यह प्रथा ठीक नहीं है और यह अधिकार न्यायालय को सौंप दिया गया ।

जब हमारा देश स्वतन्त्र हुआ तो हमने यह महसूस किया कि ऐसे विवादों को हल करने तथा आम जनता में विश्वास पैदा करने के लिए स्वतन्त्र न्यायालय ही उचित संस्था है । यही कारण है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया ।

जहां तक व्यपदेशन का सम्बन्ध है, कांग्रेस सरकार ने 1975 में सोचा कि यह सिद्धान्त नहीं रहना चाहिए और इसलिए उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की परिभाषा में व्यपदेशन सिद्धान्त को हटा देना चाहिए । अब तक यह स्थिति थी । चूंकि हम इस विशिष्ट अधिनियम को विवादास्पद नहीं करना चाहते थे, हमने वर्तमान स्थिति में रद्दो बदल नहीं किया ।

हमारे पास व्यापक चुनाव सुधार करने का कार्यक्रम है । ज्योंहि हम इससे सम्बन्धित विधेयक पेश करेंगे तो हम विषय के इस पहलू पर भी विचार करेंगे कि भ्रष्ट तरीके केवल वही

नहीं माने जाएंगे जो अभ्यर्थी ने नामांकन पत्र पेश करने के बाद अपनाए थे बल्कि इसमें वे तरीके भी शामिल होंगे जो व्यक्ति भावी अभ्यर्थी है अर्थात अभी उसने विधिवत नामांकन पत्र नहीं भरा है । जब हम चुनावों सम्बन्धी व्यवस्था के बारे में विधेयक प्रस्तुत करेंगे तो उस समय इन सभी पहलूओं पर व्यापक रूप से विचार किया जाएगा । उस समय हम निश्चय ही विरोधी पक्ष के साथ भी उपयुक्त विचार विमर्श करेंगे । यही कारण है कि वर्तमान विधेयक में हमने किसी भी विवादास्पद प्रश्न को स्थान नहीं दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि राष्ट्रपतीय तथा उप राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करते हैं। कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री शांति भूषण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सदन को सोमवार, 20 जून तक के लिए स्थगित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा **सोमवार, 20 जून, 1977/30 ज्येष्ठ 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।**

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, June 20, 1977/Jyaistha 30, 1899 (Saka).